

20/4/21

प्रार्थीगण मय वकील उप.। प्रार्थीगण द्वारा
सूक्ष्म दावा विज्ञापन किया है। अतः
पत्र सारहीन होने के कारण खारिज
किया जाता है पूर्व में जारी T.I. खारिज
की जाती है। पत्रावली कारिखल दफ्तर हो

अध्यापक अधिकारी
पटना (पटनापुर)